भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *62
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना

***62. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**
श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज उद्योग की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नयन करने के लिए संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) कार्यान्वित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने छोटे दवा निर्माताओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध भेषज विभाग (डीओपी) की कतिपय टिप्पणियों का संज्ञान लिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बड़ी दवा कंपनियों तथा मध्यम एवं लघु दवा निर्माताओं के बीच कथित भेदभाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) सरकार द्वारा आरपीटीयूएएस के लाभ प्रदान करते समय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)</u>

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 62 (दूसरा स्थान) के उत्तर में संदर्भित विवरण

औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) को संशोधित किया गया है और दिनांक 11.03.2024 को इसका नाम बदलकर 'संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' (आरपीटीयूएएस) कर दिया गया है ताकि इसका उपयोग बढ़ाया जा सके और औषध उद्योग को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहयोग प्राप्त हो सके। यह विभाग "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)" योजना के एक भाग के रूप में आरपीटीयूएएस उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

आरपीटीयूएएस उप-योजना का उद्देश्य संशोधित अनुसूची-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों में अपग्रेड करने के लिए मौजूदा फार्मा इकाइयों को सुविधा प्रदान करना है। इच्छित लाभार्थियों में पिछले तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाली मौजूदा औषध विनिर्माण इकाइयां शामिल होंगी।

पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित औसत कारोबार मानदंड वाली औषध इकाइयां अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं:

- 1.00 करोड़ रुपये से 50.00 करोड़ रुपये से कम का कारोबार:- पात्र कार्यकलापों के तहत निवेश का 20%;
- 50.00 करोड़ रुपये से 250.00 करोड़ रुपये से कम का कारोबार:- पात्र कार्यकलापों के तहत निवेश का 15%
- 250.00 करोड़ रुपये से 500.00 करोड़ रुपए से कम का कारोबार:- पात्र कार्यकलापों के तहत निवेश का 10%;

एक सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के विरुद्ध फार्मा संघों को ऐसी भाषा, जो अधिकारिक रूप से सही नहीं है, में ईमेल भेजने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। हालांकि, यह सम्प्रेषण अनौपचारिक था, फिर भी संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अधिकारी ने इसके लिए माफ़ी मांगी है। फिर भी, सक्षम प्राधिकारी ने उत्तर को खारिज कर दिया है और दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की है।

संशोधित पीटीयूएएस योजना के तहत, दिनांक 11.04.2024 से एक आवेदन विंडो खोली गई है और 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सात (07) आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और सभी सात (07) स्वीकृत आवेदक एमएसएमई हैं। सभी स्वीकृत आवेदकों को मंजूरी/अनुमोदन पत्र जारी किए गए हैं।

एसपीआई योजना का उद्देश्य तकनीकी उन्नयन का समर्थन करके एमएसएमई को आत्मनिर्भर और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह विभाग एमएसएमई का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य आरपीटीयूएएस उप-योजना के तहत अधिकतम लाभ प्रदान करना है।

*****